तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जा[illegible]
	[illegible] पत्र हुई [illegible] राजकार्य में व्यस्त 27/2/18 [illegible]	
11/5/18	पत्रावली [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] - [illegible] [illegible] ने [illegible] हुई [illegible] ने अपना [illegible] पत्र पेश किया जो [illegible] [illegible] [illegible] मैंने [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली का सहज अवलोकन किया [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] होकर [illegible] से [illegible] की। उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
(राजस्व लोक अदालत/ केम्प कोर्ट छोटीसादडी)
अटल सेवा केन्द्र — अलोदिया केलुखेडा

पीठासीन अधिकारी– दिनेशकुमार मण्डोवरा आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

कालूलाल पिता नेतराम जी जाति जाट उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी अलोदिया केलुखेडा तह. छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.

..... वादी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

.... प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती
उपस्थित — बाबुलाल पालीवाल अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी की तरफ से एकतरफा

निर्णय

प्र.स. 5/18 ई. रे.
दिनांक– 11.5.18

सक्षिप्त मे वाद पत्र का वर्णन इस प्रकार हे कि वाके मोजा साण्डीखेडा तहसील छोटीसादडी मे पुराने आराजी नम्बर 169 स्थित है एवं उक्त आराजियात को वादी के पिता नेतराम ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 20.6.63 को कय किया था एवं उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात का कब्जा प्राप्त किया था। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके वारिसान मे मात्र वादी ही है वादी के पिता के खरीद के समय से ही उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात पर वादी के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद वादी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है एवं वादी के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है।

दोराने पेमाईश उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. हुए जो वादी के पिता द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की गई थी एवं भु प्रबंधक विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त वादग्रस्त आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेज की नकले एवं जमाबंदी की नकले पेश की है।

वादी द्वारा वाद पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये एवं प्रतिवादी की तामील होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.2.18 को प्रतिवादी का जवाब बंद कर दिया गया एवं वाद वास्ते शहादत वादी हेतु नीयत किया। वादी की और से ही उक्त दिनांक को ही अपना शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी के बयान कराये गये वादी ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से यह जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात जिसके पुराने आराजी

नम्बर 169 थे भु प्रबंधक विभाग द्वारा दोराने पेमाईश उक्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. बिलानाम दर्ज किये गये। वादी की ओर से प्रदर्श 1 नवीन जमाबंदी प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 विकय पत्र प्रदर्श 4 नक्शा टेस प्रदर्शित कराये गये उसके बाद वादी की साक्ष्य बंद कर वाद वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया।

दोराने बहस वादी ने अपनी साक्ष्य मे पेश दस्तावेज को प्रदर्शित कराया जो प्रदर्श 1 नवीन जमाबंदी प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 विकय पत्र प्रदर्श 4 नक्शा टेस पेश किये वादी द्वारा साक्ष्य मे व दोराने बहस न्यायालय के समक्ष यह साबित किया कि वादी की आराजियात वाके मोजा साण्डीखेडा तहसील छोटीसादडी मे वादी के पिता द्वारा दिनांक 20.6.63 को रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की गई आराजियात आराजी नम्बर 169 जिसके नवीन आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. जो भु प्रंबधक विभाग ने दोराने पेमाईश बिलानाम दर्ज कर दी गई है मे अपना नाम घोषित कराने एवं राजस्व अभिलेख मे अपना नाम अंकित कराने हेतु दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन कराया।

वादी के द्वारा की गई दोराने बहस को मददेनजर रखते हुए एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो साक्ष्य मे प्रदर्शित कराये गये प्रदर्श 1 से लगायात प्रदर्श 4 को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा साण्डीखेडा प. ह. नाराणी तहसील छोटीसादडी मे वादी के पिता के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीदशुदा आराजियात आराजी नम्बर 169 जिसके नवीन आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. जो भु प्रंबधक विभाग द्वारा दोराने पेमाईश बिलानाम दर्ज कर दी गई है को वादी अपने नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित कराने बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजी एवं शपथ पत्र के माध्यम से यह साबित किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. को अपने नाम राजस्व अभिलेख मे अपने नाम अंकित कराने हेतु वाद को साबित करने मे सफल हुआ है ऐसी सुरत मे वादी का वाद इन सभी तथ्यो के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके मोजा साण्डीखेडा प. ह. नाराणी तहसील छोटीसादडी के नवीन आराजी नम्बर 376 रकबा 0.73 हे. मे वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित कराये जाने बाबत वादी के हक मे डिकी प्रदान की जावे डिकी अलग से मुर्तिब हो एवं पत्रावली फेसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी